Speed Post

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 28/02/2019

File No.

(1) FL/50/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
(2) PB/35/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
(3) UD/39/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
(4) SU/16/2017/STGMP/DEOLAAC/RU-III
(5) MN/43/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
(6) AT/7/2018/STGMP/ATOTH/RU-III
(7) CU/36/2018/STGMP/DELAAL/RU-III

सेवा में,

1. जिला कलेक्टर
   जिला छिन्दवाड़ा
   (म.प्र.)

2. पुलिस अधीक्षक
   जिला छिन्दवाड़ा
   (म.प्र.)

विषय :– 1. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में श्री फग्गूलाल, ग्राम बडकुही खमारपानी, तहसील बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा का अभ्यावेदन ।

2. आनावेदक के विरुद्ध उचित कार्यवाही किये जाने बाबत श्रीमती प्रभाबाई पति स्व. श्री सुखपाल यहके मु. पो. डुंगरिया तितरा, तहसील परासिया जिला छिंदवाडा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

3. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में – श्री उधो इरपाची पिता श्री पितरू, ग्रामगुमतरा, पोस्ट पायरी, विकासखंड– बिछुआ, जिला छिंदवाडा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

4. आवेदक के स्वमित्तव की भूमि पर अनावेदिका द्वारा जबरन कब्जा करने बाबत– श्री संदीप पुत्र श्री प्रेमसिंह निवासी लालबाग, वार्ड नं.14, गोंडी मोहल्ला, छिंदवाडा तहसील व जिला छिंदवाडा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

5. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन को रावल मायनिंग कोर्पोरेशन रामपेठ दवामी द्वारा जबरदस्ती अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में श्री मन्नू पिता श्री सितरु धुर्वे, एवं श्री संजु पिता श्री मन्नू धुर्वे, मुकाम रामपेठ दवामी, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

6. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अन्य लोगों द्वारा 25 लाख 50 हजार रुपयों की धोखाधड़ी कर और आवेदक की पत्नी का अपहरण कर उसकी राशि लूट लेने,जाति सूचक गाली–गलौच एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में श्री अतरु पिता श्री तुलसी परते ग्राम रामगढ़, तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

7. आदिवासी समाज की आवेदिका के स्वामित्व की भूमि ख.नं. 766/1 रकबा 1.584 हे. में से शासन द्वारा अतिक्रमित रकबा 0.599 हे. भूमि का कब्जा दिलाने अथवा शासन द्वारा अतिक्रमण कर किय गये स्थायी निर्माण के बदले में शासन मद की भूमि ख.नं.635/1, 635/2, 652/2 का मद परिवर्तन कर स्थानान्तरण किये जाने बाबत श्रीमती चंद्रकांता उइके पति श्री गोपीचंद उइके, ग्राम शीलादेही, पोस्ट गाजनडोह, तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाडा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर कथन है कि सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 21.01.2019 को कलेक्टर सभाकक्ष जिला कलेक्टर छिंदवाडा (म.प्र.) के साथ किए गए बैठक कि रिपोर्ट प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि बैठक कि रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं कार्रवाई रिपोर्ट एक महीने के भीतर भिजवाने का कृपा करें।

28/1/2019

(डॉ. ललित लट्टा)
निदेशक

प्रतिलिपि:

1. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।
2. श्री फग्गूलाल, ग्राम बडकुही खमारपानी, तहसील बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा
3. श्रीमती प्रभाबाई पति स्व. श्री सुखपाल यहके मु. पो. डुंगरिया तितरा, तहसील परासिया जिला छिंदवाडा (म.प्र.)
4. श्री उधो इरपाची पिता श्री पितरू, ग्रामगुमतरा, पोस्ट पायरी, विकासखंड– बिछुआ, जिला छिंदवाडा (म.प्र.)
5. श्री संदीप पुत्र श्री प्रेमसिंह निवासी लालबाग, वार्ड नं.14, गोंडी मोहल्ला, छिंदवाडा तहसील व जिला छिंदवाडा (म.प्र.)
6. श्री मन्नू पिता श्री सितरु धुर्वे, एवं श्री संजु पिता श्री मन्नू धुर्वे, मुकाम रामपेठ दवामी, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
7. श्री अतरु पिता श्री तुलसी परते ग्राम रामगढ़, तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
8. श्रीमती चंद्रकांता उइके पति श्री गोपीचंद उइके, ग्राम शीलादेही, पोस्ट गाजनडोह, तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाडा (म.प्र.)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुनवाई (Hearing) कार्यवृत्त

अपीलकर्ता आवेदक :– श्री फग्गूलाल पिता श्री सुदामा बड़कुही निवासी ग्राम बड़कुही खमारपानी तहसील बिछुआ जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश।

आयोग की फाईल नंबर **FL/50/2018/STGMP/DELAAL/RU-III**

सुनवाई / बैठक की तिथि : 21/01/2019
सुनवाई /बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'
स्थान : सभाकक्ष कार्यालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा

उपरोक्त विचाराधीन आवेदक की अपील /अभ्यावेदन पर मेरे द्वारा छिन्दवाडा प्रवास के समय कलेक्टर कार्यालय छिन्दवाड़ा के सभाकक्ष में सुनवाई की गई जिसका कार्यवृत्त इस प्रकार है।

श्री फग्गूलाल पिता श्री सुदामा निवासी बड़कुही खमारपानी तहसील बिछुआ जिला छिन्दवाडा

1) अपीलकर्ता श्री फग्गूलाल पिता श्री सुदामा द्वारा आयोग में दिनॉक 29 अक्टूबर 2018 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि भूमि खसरा कमांक 50 रकबा 2.501 ग्राम बड़कुही राजस्व अभिलेखों में उसके नाम पर मालिकाना हक में दर्ज है।
2) आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का ग्रामीण किसान है और उक्त विचाराधीन खसरा नंबर की भूमि से ही उसका जीवन–यापन होता है एवं अन्य कोई जरिया नहीं है।
3) वन विभाग जिला छिन्दवाड़ा आवेदक को उसकी भूमि पर कृषि कार्य नहीं करने दे रहा है।
4) अपील तथा दस्तावेजों को संज्ञान में लेकर नोटिस जारी कर वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन मंगाने के निर्देश दिये गये।
5) सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा नोटिस कमांक **FL/50/2018/STGMP/DELAAL/RU-III** दिनॉक **31 Oct 2018** जारी करते हुए कलेक्टर छिन्दवाड़ा को 30 दिवस में डाक के माध्यम से अथवा उपस्थित होकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये सूचित किया गया।
6) सुनवाई हेतु तारीख नियत करने तथा सुनवाई की तारीख अर्थात 21 जनवरी 2019 तक कलेक्टर छिन्दवाड़ा से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

7) सुनवाई के समय नायब तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन के माध्यम से सूचित किया कि आवेदक के आवेदन को मद बी–121 में दर्ज कर वनविभाग तथा पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि वन विभाग के कक्ष क्रमांक 1557 के अंदर दर्ज होना एवं 0.4 घनत्व का वन क्षेत्र विद्यमान होना प्रतिवेदित किया गया।

8) पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि खसरा क्रमांक 50 रकबा 2.251 हैक्टेयर राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर दर्ज है जिसमें 244 सागौन के तथा 44 अन्य प्रजाति के वृक्ष लगे हैं। पटवारी के अनुसार यह प्रकरण वन विभाग एवं राजस्व विभाग की सीमा निर्धारण से संबंधित है जिसके निराकरण के उपरांत ही आवेदक की समस्या का समाधान हो सकता है।

निर्णय एवं निष्कर्ष

- सुनवाई में आवेदक एवं प्रशासन के पक्ष को सुना गया। तथ्यों के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि प्रशासन द्वारा आयोग के नोटिस दिनॉक 29/10/2018 के उपरांत भी प्रकरण के निराकरण के लिये किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया।
- आयोग की सुनवाई निर्धारित होने के उपरांत प्रकरण दर्ज कर छानबीन की गई और वन विभाग से भी किसी प्रकार का संपर्क कर समस्या निराकरण के लिये प्रयास नहीं किया गया और न ही वन विभाग को आज की सुनवाई के लिये सूचित किया गया, जिसकी वजह से सीमा विवाद के प्रकरण में तथ्य स्पष्ट प्रकट नहीं हो सके।
- अतिरिक्त कलेक्टर एवं तहसीलदार द्वारा आयोग को आश्वस्त किया गया कि एक सप्ताह में वन एवं राजस्व विभाग आवेदक की उपस्थिति में आवेदन का परीक्षण कर तथ्यों से आयोग को अवगत करायेगें ताकि आवेदक की समस्या का निरारण हो सके।
- अतएव एक सप्ताह में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये संबंधित अधिकारी कार्यवाही सुनिश्चित कर अवगत करावें।
- आयोग के नोटिसों को जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है,क्योंकि यदि उक्त सभी प्रकरणों में प्रशासन ध्यान देता तो इनका निराकरण समयावधि में संभव था। **कलेक्टर, आयोग के नोटिसों और पत्रों का उत्तर समयावधि में भिजवाने की व्यवस्था एवं स्वंय की उपस्थिति भी सुनिश्चित करें।**

(सुश्री अनुसुईया उइके)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुनवाई (Hearing) उपस्थिति पत्रक

अपीलकर्ता आवेदक :– श्री फग्गूलाल पिता श्री सुदामा बड़कुही निवासी ग्राम बड़कुही खमारपानी तहसील बिछुआ जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश।

आयोग की फाईल नंबर **FL/50/2018/STGMP/DELAAL/RU-III**

सुनवाई / बैठक की तिथि : 21/01/2019

स्थान : सभाकक्ष कार्यालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार,

- सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष,
- श्री जितेन्द्र कुमार सोलंकी, मान. उपाध्यक्ष महोदया के सहायक निज सचिव

जिला प्रशासन छिन्दवाड़ा

- श्रीमती कविता बाटला, अतिरिक्त कलेक्टर छिन्दवाडा।
- तहसीलदार, बिछुआ श्रीमती अनीता भोयर ।

अपीलकर्ता आवेदकगण

- श्री फग्गूलाल कवरेती